राजस्थान सरकार
सलाहकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

नगर नियोजन भवन, बिरला मन्दिर के सामने, जे.एल.एन. मार्ग–जयपुर–302004 ई–मेलः gssandhu.advisor.udh@rajasthan.gov.in

क्रमांक : सला./नविवि/2021/17 दिनांक : 09.07.2021

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :–"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों के प्रकरणों के त्वरित समाधान एवं निस्तारण हेतु दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" चलाये जाने की घोषणा की गई है। उन्होनें यह भी निर्देशित किया है कि अभियान के संबंध में सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर अच्छी तैयारी की जावें तथा समस्याओं को चिन्हित किया जावें, जिसमें अभियान के दौरान अच्छे परिणाम आ सके। उक्त परिपेक्ष में कार्मिक (क–1) विभाग के आदेश क्रमांक प.9(1)कार्मिक/क–1/2021 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सलाहकार, नगरीय विकास स्वायत शासन एवं आवासन विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है।

पिछले कुछ दिनों में अभियान संबंधी निम्न कार्य सम्पादित किये गये है :–

i. दिनांक 25.06.2021, 28.06.2021 व 30.06.2021 को माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग की अध्यक्षता में संभागवार सभी नगरीय निकायों/नगर न्यासों/प्राधिकरणों से विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई व उनके सुझाव भी मांगे गये। नगरीय निकायों द्वारा कई ऐसे प्रकरण उठाये गये जो अन्य विभागों की मध्यस्ता व सहयोग से सुलझाये जा सकते है।

ii. दिनांक 29.06.2021 के राज्य स्तरीय स्टयरिंग कमेटी (SLSC) का गठन किया गया है, जो अभियान संबंधी विभिन्न विषयों का परीक्षण करेगी, जिन्हें माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात् लागू किया जावेगा। इस अभियान से संबंधित यदि आपके कोई सुझाव हों तो आप अद्योहस्ताक्षरकर्ता या प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग/शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग को भिजवा सकते है।

iii. दिनांक 30.06.2021 को माननीय मंत्री महोदय द्वारा अभियान संबंधी एक विशेष वैब पोर्टल (https://psks.jaipurjda.org) को लॉच किया गया है, जिस पर आमजन द्वारा अपने सुझाव दिये जा सकते है, साथ ही एक प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें अभियान का "नामकरण"(Acronym), "लोगो"(Logo) व "टैग लाईन"(Tag line) का चयन किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी के विजेता को राज्य सरकार द्वारा 20000/– रूपये का नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" के सफल कियान्वयन में सभी संबंधित विभागों के समन्वय व सक्रिय सहयोग आवश्यक है। अतः इस अभियान से संबंधित आपके जो भी सुझाव हो, कृपया आवश्यक रूप से प्रेषित करें एवं आपके विभाग के ऐसे कार्य, जिनमें नगरीय निकायों का योगदान आवश्यक हो, के संबंध में भी ई–मेल psksabhiyan21@gmail.com पर सूचित करने का कष्ट करें।

प्रस्तावित कार्यों की प्रारंभिक सूची संलग्न है, जिसे नगरीय निकायों/विभागों से प्राप्त सुझाव के पश्चात् राज्य मंत्रीमण्डल की आज्ञा से अन्तिम रूप दिया जावेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(डॉ.जी.एस. संधू)
सलाहकार

क्रमांक : सला./नविवि/2021/18-39 **दिनांक : 09.07.2021**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नविवि, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, सरकार।
7. समस्त, संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
11. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, नगर नियोजन विभाग, जयपुर–कृपया अभियान के पोर्टल व प्रतियोगिता के संबंध में नोडल अधिकारी व सह अधिकारी नियुक्त करें। यह अधिकारी आमजन से प्राप्त होने वाले सुझावों को प्रतिदिन संबंधित उच्च अधिकारी को भिजवाने की सुनिश्चिता करेगें।
13. प्रबन्ध निदेशक, रीको, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इस अभियान में BIDA, भिवाड़ी को भी सम्मिलित होने के लिए निर्देशित करें। अभियान संबंधी उनके जो भी सुझाव हो वो भी भिजवाये जा सकते है।
14. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अभियान संबंधी वैब पोर्टल (https://psks.jaipurjda.org) तथा प्रतियोगिता के संबंध में ज्यादा से ज्यादा प्रचार कराने का कष्ट करें एवं सभी विभागों व जिलों में कार्यरत जन सम्पर्क अधिकारी को भी इस बाबत् सूचना भिजवावें।
16. नोडल अधिकारी, नगरीय विकास/स्वायत शासन/नगर नियोजन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वैब पोर्टल बाबत् सूचना अपनी वैब साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

सलाहकार

राजस्थान सरकार

सलाहकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

नगर नियोजन भवन, बिरला मन्दिर के सामने, जे.एल.एन. मार्ग–जयपुर–302004 ई–मेलः gssandhu.advisor.udh@rajasthan.gov.in

"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" में किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की प्रारंभिक सूची

1. कृषि भूमि के आवासीय/व्यावसायिक/अन्य प्रयोजार्थ रूपान्तरण से संबंधित कार्य।
2. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–ए के अन्तर्गत पट्टे जारी करने के संबंध में। (पुरानी आबादी के लिये प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है)
3. पूर्व राजा/महाराजाओं/भू–स्वामियों की सीलिंग व सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 की भूमियों पर बसी आवासीय कॉलोनियों के सम्बन्ध में।
4. अधिसूचित कच्ची बस्तियों के संबंध में।
5. लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने बाबत।
6. भवन मानचित्र प्रकरणों/निर्माण अवधि विस्तार के संबंध में।
7. नाम हस्तानान्तरण प्रकरणों के संबंध में।
8. भूखण्डों के उप विभाजन/पुनर्गठन के संबंध में।
9. अपंजीकृत पट्टो के पुनर्वेध कर पंजीकरण कराने के संबंध में।
10. नगरीय क्षेत्रों की सिवायचक चारागाह भूमियों पर बसी कॉलोनियों के संबंध में कार्यवाही, शहरों की सिवायचक भूमियों का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में।
11. भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।
12. अन्य राजकीय विभागों की भूमि पर बसी पुरानी कॉलोनियों की भूमि नगरीय निकायों को हस्तान्तरित करना।
13. नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में राजस्थान राज्य की घुमन्तु/अर्द्धघुमन्तु विमुक्त जातियो/गाड़िया लुहारों/अधिसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अवशेष रहे आवासहीन परिवारों को 50 वर्गगज के आवासीय भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन किया जाना।
14. अभियान के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं शहरों को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय का स्थल का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन हेतु आवेदन एवं कनेक्शन आदि।
15. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत् स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण हेतु युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व–रोजगार हेतु ऋण दिलवाने बाबत् आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेन्डर्स को चिन्हित किया जाकर अनुशंषा–पत्र जारी करना ताकि ऐसे लोग अपना रोजगार सरलता से प्राप्त कर सके।
16. राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियों का रिपेयरिंग, नाम हस्तान्तरण, स्ट्रीट लाईट, शुल्क, पट्टे आदि के संबंध में।

17. नगरीय निकायों के राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में खसरा मिलान हेतु जिला कलक्टर द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारी यथा पटवारी/नायब तहसीलदार आदि को नगरीय निकायों में भागीदारी/सहयोग।
18. प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं अन्तर्गत विभिन्न समस्याओं का समाधान।
19. नगरीय क्षेत्रों की सड़क मरम्मत व मिसिंग लिंक से संबंधित कार्य।
20. **अन्य विभागों से संबंधित कार्य :–**

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :–** वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्शन प्रकरण तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रकरणों का निस्तारण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का प्रचार–प्रसार व क्रियान्वयन।
- **जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्यः–** पेयजल पाईप लाईनों के लीकेज, नाली व नाले के अन्दर की पाईप लाईन को शिफ्ट करना, खराब पडे सार्वजनिक नल व हैण्ड पम्प को ठीक करवाना।
- **उर्जा विभाग से संबंधित कार्य :–** लटके हुये तारों को व्यवस्थित करना, आवासीय भवनों के उपर से जाने वाली सभी प्रकार की विद्युत लाईनों को शिफ्ट करना तथा आवासीय भवनों के बकाया विद्युत कनेक्शन यदि पेंडिग है, तो उन्हें जारी करना।
- **सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य :–**
  (i) नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार वाली क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों तथा पुलियाओं की मरम्मत का कार्य करवाना।
  (ii) नगर निकायो को शहरी क्षेत्र में अवस्थित नजूल संपत्तियॉ, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हो, का हस्तांतरण नगर निकायों को करना।
- **राजस्व विभाग :–** नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किया जाना।
- **महिला एवं बाल विकास विभाग :–** महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रचार सामग्री का वितरण, कुपोषण से मुक्ति संबंधी कार्य, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार।